

विधि २१

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय, संभाग विदिशा
भोपाल म0प्र0

अपील-6129/2018/विटेशा/भूदृ

प्रकरण क्रमांक

1. केसरी पुत्र चुनिया जाति अहिरवार,
निवासी-सिरोंज, तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा म0प्र0
2. संदू पुत्र श्री चुनिया,
निवासी-लटेरी, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा म0प्र0
3. विपता बाई पुत्री श्री चुनिया,
पत्नी श्री भरोसीलाल, निवासी-ग्राम
नेवली, तहसील लटेरी, जिला विदिशा म.प्र.
4. जड़िया बाई बेवा चुनिया
जाति अहिरवार, निवासी-लटेरी,
जिला विदिशा म0प्र0

अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. हीरालाल पुत्र श्री तुलाराम, माता भंमरीबाई
जाति अहिरवार, निवासी-वार्ड क्रमांक-2
लटेरी, जिला विदिशा म0प्र0
2. देशराज आयु लगभग 32 वर्ष
पुत्र स्व. श्री गंगाराम
3. लालाराम आयु लगभग 28 वर्ष
पुत्र स्व. श्री गंगाराम
दोनों निवासी-वार्ड क्रमांक-14, शमशाबाद
रोड, कॉलेज के पीछे, विदिशा म0प्र0
4. श्रीमती विमला बाई, आयु लगभग 34 वर्ष
पुत्री स्व. श्री गंगाराम, पत्नी श्री भूरालाल
निवासी-ग्राम आमखेड़ा, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा म0प्र0



२५/११/२०१८



के११६

निरंतर...2

..2..

5. श्रीमती सीमा बाई, आयु लगभग 25 वर्ष पुत्री रव. श्री गंगाराम, पत्नी श्री नवल सिंह निवासी-ग्राम रुसिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा म0प्र0
6. कमरलाल पुत्र श्री तुलाराम जाति अहिरवार निवासी-वार्ड क्रमाक-5, तहसील लटेरी, जिला विदिशा म0प्र0 --- प्रतिअपीलार्थी/रेस्पांडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959



अपीलार्थीगण की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

यह कि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त श्री राजेश जैन भोपाल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 01.08.2018 पक्षकार केसरी व अन्य विलङ्घ हीरालाल व अन्य अपील क्रमाकं-792/15-16 में पारित आदेश से असंतुष्ट व दुखी होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार अपील प्रस्तुत करते हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 6129/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-4-2019	<p>अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा अपर आयुक्त के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में यह तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 में तृतीय अपील का कोई प्रावधान नहीं होने से यह अपील अग्राह्य की जाती है। अपीलार्थीगण सूचित हों।</p> <p style="text-align: right;"> अद्यक्ष</p> <p style="text-align: center;"></p>	